"अल्पसंख्यकों को अधिकार खोलेंगे विकास के नये रास्ते"

- विष्णुकांत तिवारी
विद्यार्थी, एमसीयू

"सामाजिक नियम, फिजिक्स अथवा मैथ्स की तरह स्थायी नहीं होते। इसके मूल्यों एवं नियमों में समय, स्थान आदि के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समयानुकूल उचित परिवर्तन ही समाज को जीवंत बनाता है।"

ऐसे ही कुछ बदलावों से रूबरू होते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की अवधारणा का निर्माण हुआ है। अल्पसंख्यक शब्द अल्प और संख्यक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की अपेक्षा संख्या में कम होना। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रेंसिस्को कॉपोटोर्टी ने एक वैश्विक परिभाषा दी, जिसके अनुसार- "किसी राष्ट्र-राज्य में रहने वाले ऐसे समुदाय जो संख्या में कम हों- सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हों एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाये रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र-राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। अल्पसंख्यक होने के कई पहलू तो हो सकते हैं, परन्तु मुख्यत: इसमें धार्मिक, भाषायी, जातीय पहलुओं को प्रमुखता से देखा जाता है। इसमें सबसे मुखर होता है धार्मिक रुप से अल्पसंख्यक होना, कई सारे देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और बहुसंख्यक समाज के साथ यह भी समान रुप से विकास कर सकें।

भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस का इतिहास : संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस हर साल भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के वास्तविक और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में देखा गया है कि रोजगार के अवसर, शैक्षिक उत्थान और वित्तीय समावेशन ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं- जहां अल्पसंख्यक सभी मौजूदा नियमों के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। इस दिशा में यह धारणा आम है कि उचित मार्गदर्शन और सहायता मिले तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी देश के विकास में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश में इस समय छह धर्मों के अनुयाइयों - मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन एवं पारसी को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि यहूदी धर्म के अनुयाइयों का जिनका जनसंख्या अनुपात भारत की कुल जनसंख्या का काफी कम है को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता।

आज जिस प्रकार से रोजगार, शिक्षा एवं विशेषकर कुछ राज्यों में सुरक्षा कारणों से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है, इससे देश के कई राज्यों, जिलों, कस्बों आदि में बहुसंख्यक की जनसंख्या अनुपात में बड़ा बदलाव आ गया है। उनको वहां पर अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। देश के कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक का जनसंख्या अनुपात घटकर अल्पसंख्यक के मुकाबले कम या बराबर हो गया है। इस तरह से स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक समस्या पैदा हो रहीं है।

समझने में दिक्कतें इस बात पर भी आ रही हैं कि किसे अल्पसंख्यक कहा जाए और किसे बहुसंख्यक। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का कालियाचक जिसमें वर्ष 2016 की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जहाँ पर बहुसंख्यक की परिभाषा ही फेल हो गई है।

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 20-25 से अधिक जिलों में जनसंख्या अनुपात में दोनों वर्गों में ज्यादा अंतर नही है। शामली जिले (जो पहले मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था) का "कान्धला" पलायन के कारण जनसंख्या

अनुपात का असंतुलन एक ज्वलंत उदाहरण है। जहां पलायन के कारण बहुसंख्यक जनसंख्या अनुपात का प्रतिशत 10% से भी कम है। बिहार में भी कुछ स्थान इसी श्रेणी में रखे जा सकते है।

राष्ट्र के अल्पसंख्यक अपने साथ हो रही इस कथित ज्यादती के खिलाफ अब तक हर संभव द्वार पर दस्तक दे चुके हैं कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक व् बहुसंख्यक अनुपात देख आप ज़रा सोचिये कौन बहुसंख्यक है। अतः स्पष्ट है जनसंख्या अनुपात में सुरक्षा व अन्य कारणों से पलायन के कारण अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का बंटवारा स्थाई रूप से सदा-सदा के लिए नहीं किया जा सकता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

भारत में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नही है, फिर भी यदि कानूनी रूप से देखा जाये तो संविधान के अनुसार 'अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।' हमारे देश में हिंदु धर्म को बहुसंख्यक माना जाता है और इसके अलावा मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है। सरकार देश भर में अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की विशेष योजनाएं चलायी जाती है और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सन् 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया था।

हाल के दिनों की परिस्थितयों को नज़दीक से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि आज भी भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किये जा रहे प्रयासों के पूर्ण रूप से कारगर होने में लम्बी लड़ाई बाकी है। वास्तव में अल्पसंख्यक अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके धर्म और परंपराएं उनकी रक्षा के साधन हैं। चूंकि बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं द्वारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा तैयार किए गए हैं तो वे मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को देखते हुए अपने मुद्दों का समाधान करते हैं इसलिए दोनों नुकसान में हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए इस स्थिति को दूर करने के लिए अधिक कठिन हो रहा है।

भारत में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमान समुदाय के लोग अपनी इच्छा से भारतीय हैं न कि किसी मज़बूरी की वजह से। उन्हें अपनी वफादारी या देशभक्ति का कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में यह वक़्त शिक्षा, बेरोजगारी, जन कल्याण, गिरती अर्थव्यवस्था और ऐसे सम-सामयिक मुद्दों पर बात करने की, काम करने की आवश्यकता है। और इन्हीं पर ध्यान लगाने से ही इस देश कि तारतम्यता और तरक्की दोनों का विस्तार, सुदृढ़ता और बढ़ोत्तरी होगी। अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन और समान अधिकार मिलना चाहिए जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और तभी देश का विकास होगा।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।